प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक :२५ दिसम्बर, 2018**

विषयः– 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में निर्माणाधीन 200मी0 सिन्थैटिक एथलेटिक्स प्रैटिक्स ट्रैक की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–959/बजट/संबंधित निर्माण पत्रा0/2016–17/दे0दून, दिनांक 29 नवम्बर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में निर्माणाधीन 200मी0 सिन्थैटिक एथलेटिक्स प्रैटिक्स ट्रैक के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत आगणन ₹ 358.40 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोंपरान्त संस्तुत आंकलित धनराशि ***₹ 334.97 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹ 87.47 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 247.50 लाख)*** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु ***प्रथम किश्त*** के रूप में **₹ 134.00 लाख** की धनराशि शासनादेश संख्या–163/VI/2017–21(32)/2016, दिनांक 08 मार्च, 2017 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून इकाई–1 को शासनादेश संख्या–619/VI/2017–21(32)/2016, दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा परिवर्तित करते हुये उक्त कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम (खेल इकाई) देहरादून को नामित किये जाने के फलस्वरूप उक्त धनराशि पूर्व में नामित संस्था (उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड) से शासनादेश संख्या–655, दिनांक 31 अगस्त, 2017 से वापस लेते हुये एवं नवीन नामित संस्था (उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम) को शासनादेश संख्या–972, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 द्वारा उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त अवशेष देय धनराशि ₹ 200.97 के सापेक्ष ***द्वितीय किश्त*** के रूप में **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की ***"राज्यपाल महोदया"*** सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–571/XXVII(1)/2010, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 के विहित शर्तो के अनुसार अगले चरण के लिए शीघ्रता से समयबद्धता के आधार पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

4– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।

5– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

6– कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। कार्य की प्रगति की निरंता समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समयसारिणी के अनुसार समयबद्ध रूप से पूर्ण करते हुये विभाग को हस्तगत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ***चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय–03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम–26–38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पक्ष में*** प्राविधानित बजट के सापेक्ष नामें डाला जायेगा।

9– यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक :– अलाटमेंट आई0डी0 संख्या– SI81211018 **,दिनांक :** 24 **दिसम्बर, 2018**

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 828 /VI/2018–21(32)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (खेल इकाई), देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
8. एम0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)
अपर सचिव।